



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 जनवरी 2020—पौष 11, शक 1941

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2020

क्रमांक:-^{०१}एफ 19-5/2019/12-1.- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है,
अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

"अनुसूची-तीन
(नियम 29 देखिए)

रॉयल्टी की दरें

अनुक्रमांक (1)	खनिज (2)	दरें (रूपये प्रति घनमीटर) (3)
1.	आकारीय पत्थर, ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाईल्स बनाने के प्रयोजन के लिये किया जाता है :-	

अनुक्रमांक (1)	खनिज (2)	दरं (रूपये प्रति घनमीटर) (3)
	(क) काला रंग	2000
	(ख) अन्य रंग	1000
	(ग) ग्रेनाइट खनिज, जिसका उपयोग कटिंग, पॉलिशिंग कर ब्लॉक, स्लेब या टाईल्स निर्माण हेतु नहीं किया जा सकता एवं जो 200 एम.एम. के आकार से छोटे टुकड़ों में हो	120
2.	(क) संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाईल्स बनाने के प्रयोजन के लिये किया जाता है;	1000
	(ख) संगमरमर खनिज, जिसका उपयोग कटिंग, पॉलिशिंग कर ब्लॉक, स्लेब या टाईल्स निर्माण हेतु नहीं किया जा सकता एवं जो 200 एम.एम. के आकार से छोटे टुकड़ों में हो	200
3.	फ्लेगस्टोन - प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श तथा छत आदि के लिये किया जाता है:-	
	(क) काला रंग	600
	(ख) अन्य रंग	350
	(ग) फ्लेगस्टोन खनिज के अनियमित आकार के टुकड़े जिसका उपयोग फर्श तथा छत आदि के लिये नहीं किया जा सकता	120
4.	(क) साधारण रेत, बजरी	राज्य शासन के रेत नियमों के अनुसार
	(ख) पत्थर से निर्मित रेत (यांत्रिक क्रिया द्वारा)	25 अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से 3 वर्षों तक 50 चतुर्थ वर्ष से

अनुक्रमांक (1)	खनिज (2)	दरें(रूपये प्रति घनमीटर) (3)
5.	मुर्म	50
6.	पत्थर.-	
	(क) बोल्डर	50
	(ख) गिर्वाई तथा रोड मेटल	120
	(ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा तथा ढोका	120
7.	अन्य गोण खनिज	100
8.	साधारण मिर्झी	50

टिप्पणी :- नियम 3(एक) में उल्लेखित वर्गों व व्यक्तियों को मिर्झी खनिज पर रायल्टी में छूट यथावत रहेगी।

अनुसूची-चार
(नियम 29 देखिए)

प्रति हैक्टर, प्रतिवर्ष अनिवार्य भाटक (डेडरेंट) की दरें, रूपयों में

अनुक्रमांक (1)	खनिज की श्रेणी (2)	उत्खनन पट्टे के प्रथम वर्ष (3)	उत्खनन पट्टे का द्वितीय वर्ष और उससे आगे (4)
1.	आकारीय पत्थर, ग्रेनाईट, डोलेराईट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाईल्स बनाने तथा अन्य प्रयोजनों के लिये किया जाता है।	निरंक	2,00,000
2.	संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाईल्स बनाने के प्रयोजन के लिये तथा अन्य प्रयोजनों के लिये किया जाता है।	निरंक	2,00,000

अनुक्रमांक (1)	खनिज की श्रेणी (2)	उत्खनन पट्टे के प्रथम वर्ष (3)	उत्खनन पट्टे का दूसरीय वर्ष और उससे आगे (4)
3.	चूनापत्थर जब उसका उपयोग भट्टों में जलाकर भवन सामग्री के रूप में उपयोग किये जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिये किया जाए।	निरंक	2,00,000
4.	फ्लेगस्टोन - प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श तथा छत आदि के लिये तथा अन्य प्रयोजन के लिये किया जाता है।	निरंक	2,00,000
5.	क्रेशर के लिये पत्थर	निरंक	1,00,000
6.	साधारण रेत, बजरी	निरंक	1,00,000
7.	मुरुम	निरंक	1,00,000
8.	भवन प्रयोजन के लिये पत्थर तथा अन्य गौण खनिज	निरंक	1,00,000

टिप्पणी:- उत्खनन पट्टों के नवीकरण की दशा में, लागू अनिवार्य भाटक (डेडरेट) की दरें उपरोक्त कालम (4) के अनुसार होंगी।"

NOTIFICATION

No. F-19-5/2000/12-1.- In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 namely :-

In the said rules, for Schedule III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-III"

(See rule 29)

RATES OF ROYALTY

S.No. (1)	Mineral (2)	Rates (Rs. per cubic meter) (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, Dolerite and other Igneous and Metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimensions-	
	(a) Black Colour	2000
	(b) Other Colour	1000
	(c) Granite mineral, which can not be used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimensions and pieces of which is less than 200 mm. size.	120
2.	(a) Marble, which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimensions;	1000
	(b) Marble mineral, which can not be used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimensions and pieces of which is less than 200 mm. size.	200
3.	Flagstone-natural sedimentary rock which is used for flooring and roof top etc.-	
	(a) Black Colour	600
	(b) Other Colour	350
	(c) Flagstone pieces of irregular size, which can not be used for flooring and roof top	120
4.	(a) Ordinary sand and bajri	As per Sand Rule of State Government
	(b) Sand Manufactured from Stone (By Mechanical Process)	25 up to three year from the date of publication of notification 50 from fourth year

S.No.	Mineral	Rates (Rs. per cubic meter)
(1)	(2)	(3)
5.	Murrum	50
6.	Stone.-	
	(a) Boulder	50
	(b) Gitti and road metal	120
	(c) Dressed Stone, Khanda and Dhoka	120
7.	Other Minor Minerals	100
8.	Soil	50

Note :- Exemption from Royalty on soil shall remain as it is, for the class and persons mentioned in Rule 3(i).

SCHEDULE-IV
(See rule 29)

RATES OF DEAD RENT IN RUPEES PER HECTARE PER ANNUM, IN RUPEES

S.No.	Category of Mineral	1st year of the quarry lease	2nd year and onwards of the quarry lease
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dimensional Stone-Granite, Dolerite and other Igneous and Metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimensions and for other purposes	Nil	2,00,000
2.	Marble, which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimensions and Marble for other purposes	Nil	2,00,000
3.	Limestone when used in Kilns for manufacture of lime used as building material	Nil	2,00,000
4.	Flagstone-natural sedimentary rock which is used for flooring and roof top and for other purposes.	Nil	2,00,000
5.	Stone for crusher	Nil	1,00,000

S.No.	Category of Mineral	1st year of the quarry lease	2nd year and onwards of the quarry lease
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Ordinary sand and bajri	Nil	1,00,000
7.	Murrum	Nil	1,00,000
8.	Stone for building purpose and other minor minerals.	Nil	1,00,000

Note :- In case of renewal of quarry lease, the rates of dead rent applicable shall be as per column (4) above.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव.